सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2024 / 113 दर्ज तिथिः—21.03.2024

1. अमराराम पुत्र भागीरथराम
   जाति नाई निवासी डाकियों की ढाणी, हेमागुड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. पथ निर्माण विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. गुड़ामालानी जरिये सहायक अभियंता गुड़ामालानी
2. तहसीलदार गुड़ामालानी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री रामजीवन विश्नोई
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—26.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी के पडोस में अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 441 / 363 / 0.0234 है0 तथा खसरा संख्या 442 / 363 / 0.1088 है0 मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी में से अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा डामर सड़क का निर्माण किया हुआ है एवं उक्त डामर सड़क मौके पर प्रार्थी की खातेदारी आराजी में से होकर गुजर रही है। परंतु राजस्व नक्शा में उक्त सड़क की तरमीम प्रार्थी की खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 441 / 363 / 0.0234 है0 तथा खसरा संख्या 442 / 363 / 0.1088 है0 मौजा आलपुरा के उत्तरी सेढे पर की हुई है। जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई है। इससे प्रार्थी के कब्जे की खातेदारी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। असल में उक्त डामर सड़क की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी की आराजी से होकर गुजरने वाली डामर सड़क

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:11 IST
Reason: SelfAttested

की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार पर दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

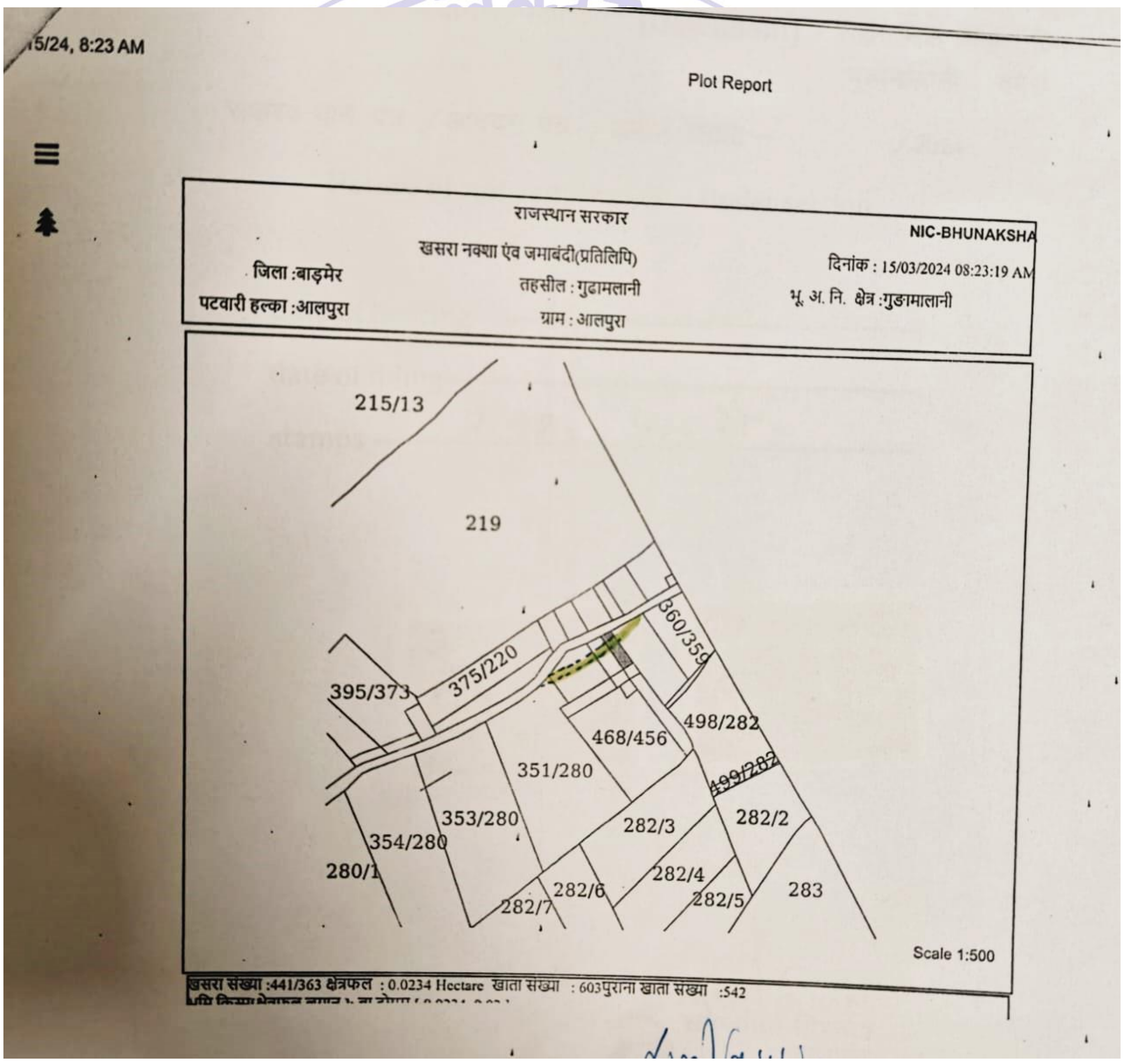

5. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ./2024/2312 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ./2024/2312 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:11 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

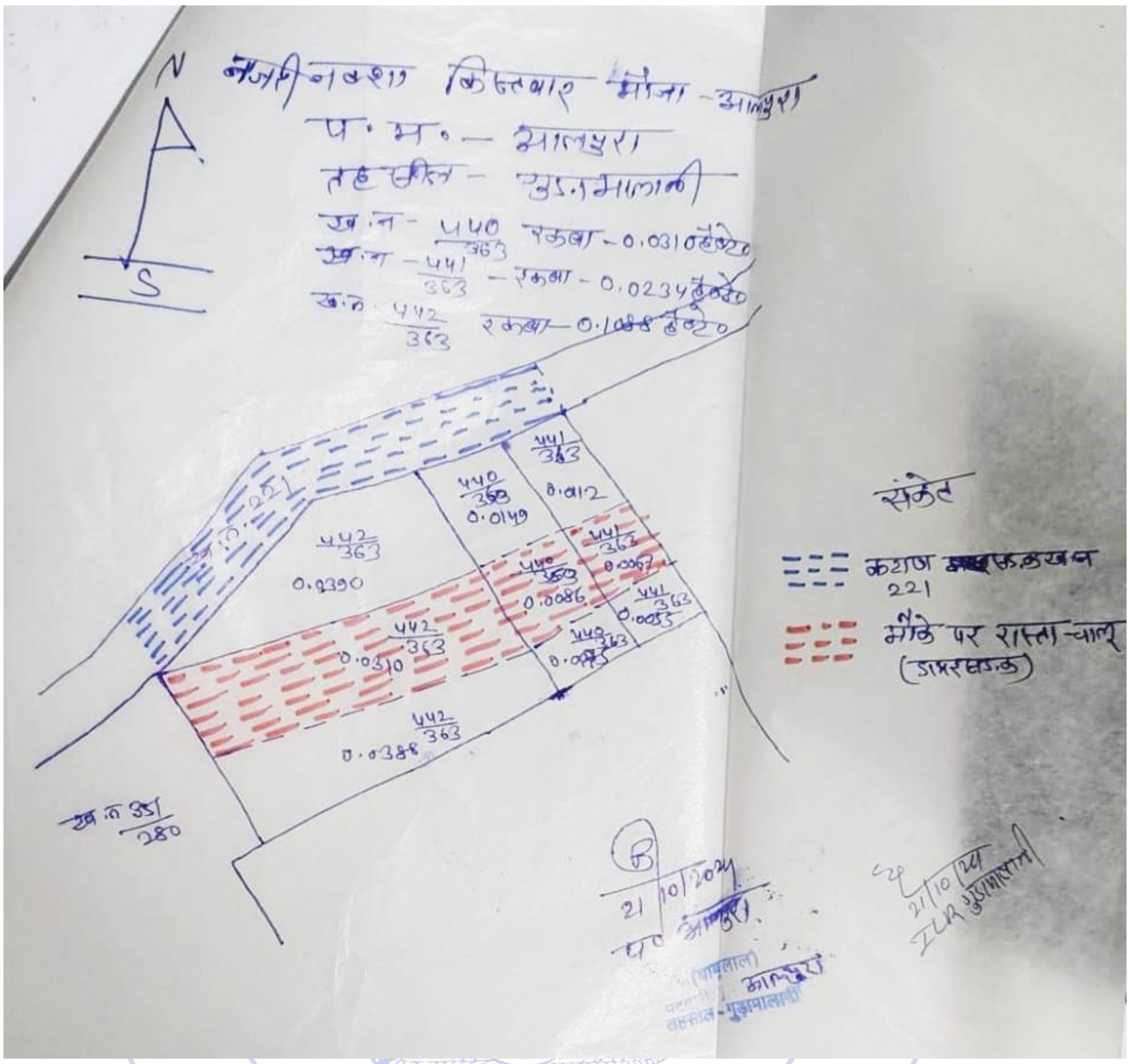

6. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ./2024/2312 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—
   1. खसरा संख्या 441/363/0.0234 है0 तथा खसरा संख्या 442/363/0.1088 है0 मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है।
   2. उक्त दोनों खसरों के मध्य खसरा संख्या 440/363/0.0310 है0 राजस्थान सरकार को समर्पित भूमि है।
   3. उक्त खसरों की उत्तरी सीमा पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा संख्या 221/0.6151 है0 गै0मु0 रास्ता की आई हुई है।
   4. खसरा संख्या 221 गै0मु0 रास्ता मौके पर खातेदार के खेत खसरा संख्या 441/363 व 442/363 के मध्य से होकर निकलता है। जिससे उक्त दोनों खसरों का विभाजन हो गया है। मौके पर चल रहा है। रास्ते पर डामर की पक्की सड़क बनी हुई है।
   5. प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की ऊपरी सीमा पर दर्ज रास्ते की भूमि खसरा संख्या 221 को उनकी खातेदारी में दर्ज कर मौके

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:11 IST
Reason: SelfAttested

पर चल रहे रास्ते की भूमि को रास्ता दर्ज करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

6. खसरा संख्या 221 रास्ते की भूमि पर चल रही है। डामर सड़क राजस्व रिकॉर्ड में अंकित उक्त खसरे की भूमि से हटकर खातेदारों की भूमि में से चल रहा है। इसमें संशोधन करने पर अन्य खसरों में भी संशोधन किया जाना अपेक्षित होगा।
7. मौका जांच रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में मौके पर चलायमान सड़क व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सड़क को दर्शाया गया है। चलायमान सड़क अनुसार संशोधन किये जाने पर विभाजित खसरों का क्षेत्रफल नक्शा अनुसार प्रस्तावित है।
8. संलग्न नक्शों में उक्त खसरों के चलायमान सड़क का काश्त है। चलायमान सड़क के अनुसार ही अंकित किया गया है।
9. प्रार्थी की खातेदारी भूमि व चलायमान सड़क की तरमीम संलग्न नक्शा अनुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ./2024/2312 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 441/363 व 442/363 से होकर डामर सड़क वर्तमान में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व वर्तमान में चलायमान डामर सड़क एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु मौके पर चलायमान डामर सड़क के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ./2024/2312 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु वर्तमान मौके पर चलायमान सड़क के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा।

8. इस संबंध में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार इस प्रकार के मामले में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिससे प्रासंगिक प्रावधान का विवरण इस प्रकार हैः–

> *जहां रास्ता खातेदार कृषक के खेत/खातेदारी भूमि से निकलता है एवं कृषक द्वारा निरंतर उपयोग किया जा रहा है। परंतु उसकी तरमीम राजस्व नक्शे में भिन्न मौके पर अन्य जगह है तो ऐसी स्थिति में मौके व राजस्व अभिलेख की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में शिविर प्रभारी गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय कर राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती कर तरमीम कर सकेगा।*

9. इस प्रकार प्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 442/363 व 441/363 के मध्य से होकर गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 221 मौके पर चालू है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 221 प्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 442/363 व 441/363 के किनारे से होकर चालू है। इससे प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट होता है। अतः राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:11 IST
Reason: SelfAttested

／2024／2312 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.09. 2021 के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/2312 दिनांक 21. 11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी के स्थान पर गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 221 की हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित तरमीम को कलमजन करते हुए उक्त मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार मौके पर चलित स्थान पर तरमीम करने तथा गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 221 की हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित तरमीम के स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी अंकित कर तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:11 IST
Reason: SelfAttested